न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
09/2018	111,128 LRA	09.05.2018	31.12.2018

1. सरस्वती पत्नी सजनकुमार जाति ब्राह्मण निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. पानादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
2. तहसीलदार साहब, चूरू

–अप्रार्थीगण–

3. आनन्दी पुत्री रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
4. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
5. चानणमल पुत्र सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
6. पूर्णमल पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
7. भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
8. भागीरथप्रसाद पुत्र सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
9. मैना पुत्री रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
10. महेन्द्रकुमार पुत्र सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
11. रतनीदेवी पत्नी रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
12. राजकुमार पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
13. संतोष पुत्री सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
14. हरिप्रसाद पुत्र सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू

–गौण अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत प्रार्थी
2. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 स्वयं

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 102 रकबा 4.5653 हैक्टेयर भूमि रोही रामसरा तहसील चूरू जिला चूरू प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण सं. 3 से 14 के सह खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रार्थिया के खेत के चिपते ही पूर्वी तरफ अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थिया वा अप्रार्थी सं. 1 के खेत पासपास स्थित हैं तथा प्रार्थिया वा गौण अप्रार्थीगण का उक्त खेत कस्बा चूरू के निकट स्थित है। प्रार्थिया वा अप्रार्थी सं. 1 के बीच सीमा को लेकर तनाजा रहता है वा सीमा को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता है तथा अप्रार्थी सं. 1 झगड़ालू स्वभाव की है तथा नाहक ही सीमा को लेकर प्रार्थिया वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 14 के साथ सीमा को लेकर विवाद करती रहती है तथा अप्रार्थी सं. 1 का पति राजस्थान पुलिस में कार्यरत है तथा अप्रार्थी सं. 1 ताकत के बल पर गलत रूप से प्रार्थिया के सहखातेदारी की कृषि भूमि की सीमा के अन्दर पट्टियां रोपकर प्रार्थिया की सीमा को सरकाने के प्रयास में है जिससे बार–बार प्रार्थिया वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 14 द्वारा समझाया जा चुका है तथा भविष्य में सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद ना हो, इसलिए प्रार्थिया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पुख्ता सीमांकन करवाया जाये जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के खेत के सीमा पड़ौसी है और भविष्य में सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। यह कि पत्थरगढी व निशानदेही में लगने वाला खर्चा प्रार्थिया वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अधिकार प्राप्त हैं। पत्थरगढी तहसीलदार साहब, चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खेत ख.नं. 102 रकबा 4.5653 हैक्टेयर रोही रामसरा तहसील चूरू की अप्रार्थी सं. 2 से टीम गठित करवाई जाकर नपती करवाई जाकर इस खेत में पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थिनी की अन्तरिम बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिनी के पक्ष का प्रतीत होने पर ख.नं. 102 तादादी 4.5653 हैक्टेयर रोही मौजा रामसरा की वर्तमान मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर गौण अप्रार्थी सं. 3 से 14 की ओर से अप्रार्थी सं. 4 से 8, 10 व 14 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 09.07.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मद सं. 1 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार किये जाते हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने से अस्वीकार की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार किये जाते हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित तथ्य कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र के जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि मुझ अप्रार्थिनी द्वारा अपनी कृषि भूमि ख.नं. 970/103 तादादी 14 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा रामसरा में शुरू से ही मेरा कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा मुझ अप्रार्थिनी द्वारा अपनी कृषि भूमि के चारों ओर पुख्ता सींव कायम कर रखी है तथा सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, फिर भी यदि प्रार्थिनी अपनी भूमि की नपती करवाना चाहती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र बिना आधार के मनमाने तरीके से पेश किया गया होने से मुझ अप्रार्थिनी की हद तक खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र का जवाब मुख्य अप्रार्थी की ओर से पेश होने पर बहस हेतु अवसर व समय दिया गया परन्तु बहस हेतु अप्रार्थी सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर वकील प्रार्थिनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थिनी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाना चाहती है जिस पर अप्रार्थिनी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थिनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित करवाई जाकर सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 102 रोही रामसरा की खातेदारी स्वयं एवं अप्रार्थी सं. 3 से 14 की होना अंकित करते हुए उक्त कृषि भूमि के चिपते ख.नं. 970/103 की खातेदार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थिनी की भूमि के कुछ भाग पर पट्टियां रोपकर सीमा को सरकाने का प्रयास किया जाना बताया है जिसका सही सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक होने एवं भविष्य में सीमा सम्बन्धी विवाद के निपटारे हेतु सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है। अप्रार्थिनी सं. 1 ने अपने जवाब में अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पट्टियां रोपकर पुख्ता सींव कायम होना अंकित किया है तथा प्रार्थिनी के साथ सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि यदि प्रार्थिनी अपनी भूमि की नपती करवाना चाहती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2071 ग्राम रामसरा ख.नं. 102 तादादी 4.5653 हैक्टेयर में प्रार्थिनी एवं गौण अप्रार्थी सं. 3 से 14 खातेदार अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2071 ग्राम रामसरा के ख.नं. 970/103 तादादी 3.6801 हैक्टेयर में अप्रार्थिनी सं. 1 पानादेवी खातेदार अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थिनी एवं गौण अप्रार्थी सं. 3 से 14 की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा उक्त कृषि भूमि के चिपते खातेदार से सीमा को लेकर विवाद है, जिसके स्थाई समाधान के लिए प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थिनी सं. 1 ने हालांकि सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं होना बताया है परन्तु फिर भी यदि प्रार्थिनी को सीमाज्ञान करवाया जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थिनी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका नियमानुसार प्रार्थिनी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थिनी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही रामसरा तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 102 तादादी 4.5653 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थिनी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू